तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
6.6.24	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण के समन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण को कितनी मर्तबा रुक-रुक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.13 10:53:37 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान – सरकार

(न्य)ायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

(पीठासीन) अधिकारी– मनोज, आर.ए.एस.

(प्रकरण) संख्या – 22/24 प्रा.पत्र

(श्री) किशन लाल s/o कालु बैरवा निवासी- मेजा तहसील- माण्डल

– प्रार्थी

बनाम

(श्री) लादु s/o पोखर गुर्जर निवासी- मेजा तहसील - माण्डल
(श्री) छेहललाल s/o छगनलाल ब्राह्मण नि० मेजा तहसील- माण्डल
रा० राज्य जरिए तहसीलदार सा० माण्डल तहसील - माण्डल

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 06.06.24

::आदेश::

(प्रार्थी क)ी ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ......मेजा...... पटवार हल्का......मेजा......तहसील माण्डल मे उसके खाते / संयुक्त खाते की (खसरा नं)बर ......286/1...... कुल किता......01......रकबा......0.3415......हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि (के पक्षका)रान के मध्य आराजी मुतदाखिला के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता (है)। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक ......06.02.24......को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण की (पत्रावली के अवलोक)नार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त कास्त की होने से पत्थरगढी कराने का (अधिकार) है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए (माननीय न्यायालयों) की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

(अतः) प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम......मेजा......पटवार (हल्का)......मेजा......तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते ... ~~0.3415~~ 286/1 ... (कुल कि)ता......01......रकबा......0.3415......हेक्टेयर ... तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये (जाकर) पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है ... भू-अभिलेख निरीक्षक......मेजा...... 500 रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे (की य)थास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर (पत्थरगढ)ी नहीं की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.13 10:53:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा